मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 956 /आर–501/2021/ब–1/चार भोपाल दिनांक 10 /11/2021

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल

विषयः– केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत योजना की गाईडलाईन अनुसार राज्यांश के लिए खोली गई बजट लाईन में पुनर्विनियोजन के माध्यम से समानुपातिक राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः– प्रथम अनुपूरक संबंधी वित्त विभाग का पत्र क्रमाक 748/आर–501/2021/ब–1/चार, भोपाल दिनांक 25/08/2021

–000–

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के राज्यांश आहरण के लिए पृथक बजट लाईनों में प्रथम अनुपूरक 2021–22 में प्रतीक प्रावधान रखा गया है। योजना की गाईडलाइन अनुसार इन बजट लाईनों में राज्यांश के अनुपात में निर्धारित राशि का पुनर्विनियोजन करने हेतु बजट नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 30/11/2021 तक के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं।

2/ उक्त अधिकारों के उपयोग के दौरान निम्नांकित तथ्य ध्यान में रखे जायें ;

2.1 केन्द्र प्रवर्तित योजना की एक सेगमेंट की बजट लाईन से अनुरूप दूसरे सेगमेंट की बजट लाईन में राशि ले जाते समय विस्तृत शीर्ष तक समानता रहे। यथा; किसी योजना के सेगमेंट 0701,0702 एवं 0703 से क्रमशः अनुरूप उसी योजना के सेगमेंट 0704, 0705 एवं 0706 में ही पुनर्विनियोजन किया जावेगा।

2.2 केन्द्रांश से पूर्व वित्तीय वर्षो की प्राप्त राशि को छोड़कर, शेष राशि पर ही निर्धारित अनुपात में पुनर्विनियोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

उदाहरण :–

(i) योजना में केंद्रःराज्य के वित्त पोषण का अनुपात	=60:40
(ii) योजना के सेगमेंट (जैसे 701) में वर्ष 2021–22 का बजट प्रावधान + प्रथम अनुपूरक अनुमान का प्रावधान	=रु. 500 करोड़
(iii) विगत वर्षो में प्राप्त केंद्रांश जो 31/3/2021 को अवशेष/अव्ययित रहा था	=रु 200 करोड़
(iv) इस वर्ष (2021–22) के लिये शेष प्रावधान [(ii)-(iii)]	=रु 300 करोड

(v) इस वर्ष (2021–22) में पुनर्विनियोजन दिनांक तक व्यय =रु 140 करोड

[उपरोक्त (ii) में से]

(vi) उपरोक्त (ii) में से शेष प्रावधान [(ii)-(v)] =रु 360 करोड

(vii) राज्यांश में पुनर्विनियोजन योग्य राशि =रु 300X40 / 100

[(iv)x राज्यांश प्रतिशत] =रु 120 करोड़

(viii) राज्यांश हेतु वास्तविक पुनर्विनियोजन =रु 120 करोड

[उपरोक्त (vi) एवं (vii) में से जो भी कम हो]

यह गणना योजनावार सेगमेंट कोड 701, 702, एवं 703 के लिये पृथक–पृथक की जाकर पुनर्विनियोजन किया जाये।

3/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 661/आर–421/13/ब–1/चार, दिनांक 28/07/2021 के कंडिका–1 के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4/ वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो राज्यांश सेगमेंट कोड 0701, 0702 या 0703 से आहरण कर लिया गया हो उसे भी वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर यथास्थिति सेगमेंट 0704, 0705 एवं 0706 में महालेखाकार कार्यालय को भेजकर व्यय स्थानांतरित किया जावे।

5/ उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही का अनुरोध है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां क्र 957 /501/2021/ब–1/ चार भोपाल दिनांक 10 /11/2021

प्रतिलिपि–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– प्रथम, म.प्र., ग्वालियर।
2. आयुक्त , कोष एवं लेखा, म.प्र., पर्यावास भवन, भोपाल।
3. समस्त उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग